तापमान

भोपाल	37.0°	23.0°
इंदौर	37.2°	22.6°
जबलपुर	30.3°	20.8°
ग्वालियर	36.6°	16.9°

दैनिक नईदुनिया

भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

वर्ष- 78
(भोपाल : वर्ष 40 अंक 124, पृष्ठ 12)
गुरुवार 3 अप्रैल 2025
राजधानी संस्करण
कीमतः 3:00 रुपये

राजधानी... मंत्री चौहान ने बनासकांठा पहुंच कर ...

खेल... उत्तर मध्य रेलवे की महिला हॉकी टीम ने जीता कांस्य...

व्यापार... एसयूवी की मांग के बीच, इस साल मारुति...

देश-विदेश... पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ...

www.naiduniaonline.com

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास पक्ष में 288, विपक्ष में 232 वोट पड़े

हमारे नहीं, अपोजिशन पार्टी के 12 बजे गए, रिजिजू ने चुन-चुनकर दिया एक-एक सवाल का जवाब

नई दिल्ली (एजेंसी)।

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 11 घंटे से अधिक लंबी चर्चा के बाद रात दो बजे पास हो गया। बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। वोटिंग के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यथा संशोधन के साथ ही बिल बहुमत से पास करने की घोषणा की।

इससे पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) बिल 2025पेश किया। इस बिल के लिए आठ घंटे का वक्त। निर्धारित किया गया था। हालांकि बाद में वक्तक बढ़ाया गया और इस बिल पर 11घंटे से भी ज्यादा वक्तस तक बहस चली। इस बहस के दौरान कई ऐसे मौके भी आए जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिली तो कुछ ऐसे मौके भी थे, जहां पर दोनों पक्ष के सांसद साथ ठहाके लगाते नजर आए. लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कह दिया कि अपोजिशन के 12 बज गए हैं।

दरअसल, रिजिजू वक्फ (संशोधन) बिल 2025 पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस दौरान रात के 12 बज गए। इस पर किसी ने कहा कि 12 बज गए. रिजिजू ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमारे नहीं अपोजिशन के 12 बज गए। इस दौरान सत्ता पक्ष के कुछ सांसद मुस्कुराते नजर आए। रिजिजू ने लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए सभी नेताओं को बिल के बारे में अपने विचार रखने के लिए धन्यतवाद दिया। साथ ही कहा कि कुछ नेता कह रहे हैं कि बिल असंवैधानिक है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे कैसे कह सकते हैं कि बिल असंवैधानिक है. अगर यह असंवैधानिक था, तो अदालत ने इसे रद्द क्यों नहीं किया? साथ ही उन्होंनने कहा कि असंवैधानिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान के खिलाफ नहीं है, जैसा कि विपक्ष ने दावा किया है। उन्होंजने कहा कि हमें संवैधानिक और असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल इतने हल्के ढंग से नहीं करना चाहिए।

इससे पहले, रिजिजू ने चर्चा के दौरान कहा कि वक्फ के पास तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक है। रेलवे, सेना की जमीनें हैं। यह सब देश की प्रॉपर्टी है। वक्फ की संपत्ति निजी संपत्ति है। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है।

60 साल आप सरकार में रहे, फिर भी मुसलमान इतना गरीब क्यों है? उनके लिए क्यों काम नहीं हुआ? गरीबों के उत्थान, उनकी भलाई के लिए काम क्यों नहीं हुए? हमारी सरकार गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रही है, तो इसमें क्या आपत्ति है? उन्होंने कहा कि देश में इतनी वक्फ प्रॉपर्टी है, तो इसे बेकार में पड़ा नहीं रहने देंगे। गरीब और बाकी मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। हमने रिकॉर्ड देखा है।

वक्फ विधेयक संविधान पर हमला सरकार फैला रही है भ्रमः विपक्ष

विपक्ष ने लोकसभा में बुधवार को पेश वक्फ (संशोधन) विधेक 2025 को सरकार की संविधान विरोधी नीति का परिणाम बताया और कहा कि इस विधेयक को लाकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देश में भ्रम फैला रही है और समाज को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरन रिजिजू द्वारा सदन में विधेयक को चर्चा करके पारित करने के लिए प्रस्ताव पर बहस शुरु करते हुए कहा कि विपक्ष भी चाहता है कि कानून में आवश्यक संशोधन हो, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है और विभाजन की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ विधेयक को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। देश का संविधान हर व्यक्ति को बराबरी, मौलिक अधिकारों की रक्षा, संघीय ढांचे की सुरक्षा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने की बात करता है, लेकिन सरकार का वक्फ विधेयक संविधान पर आक्रमण है ।

वक्फ की संपत्ति के रखरखाव के लिए बिल

वोट बैंक के लिए भ्रम फैला रहा विपक्ष

नई दिल्ली (एजेंसी)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि मैं अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं दोपहर 12 बजे से चल रही चर्चा को ध्यान से सुन रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कई सदस्यों के बीच कई गलतफहमियां हैं, चाहे वह वास्तविक हो या राजनीतिक।

साथ ही, इस सदन के माध्यम से उन गलतफहमियों को पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ अधिनियम और बोर्ड 1995 में लागू हुआ। गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के बारे में सभी तर्क वक्फ में हस्तक्षेप के बारे में हैं। सबसे पहले, कोई भी गैर-मुस्लिम वक्फ में नहीं आ सकता। इसे अच्छी तरह से समझ लें। शाह ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में किसी गैर-मुस्लिम को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, हम ऐसा नहीं करना चाहते। यह बहुत बड़ी भ्रांति है कि यह कानून मुसलमानों के धार्मिक आचरण में हस्तक्षेप करेगा और उनके द्वारा दान की गई संपत्ति में हस्तक्षेप करेगा।

यह भ्रांति अल्पसंख्यकों में अपने वोट बैंक के लिए डर पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है। शाह ने कहा कि वक्फ बिल मुस्लिम धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड में किसी गैर-मुस्लिम की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग अपने मिथकों से देश को तोड़ देंगे। यह विधेयक (शेष पेज 2 पर)

देश में बाबा साहेब का संविधान चलेगा किसी कबीले का फरमान नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)।

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक केवल एक विधेयक नहीं है, यह उम्मीद है।

इस उम्मीद में एंपावरमेंट, एफीशियंसी और डेवलपमेंट है। इसी कारण आज देश भर के लोग इस विधेयक के समर्थन में हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कई महत्वपूर्ण संस्थाओं ने इस विधेयक का समर्थन किया है, जिनमें कैथोलिक, बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ भारत, केरला काउंसिल ऑफ चर्चेज, केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल और ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसी अनेक संस्थाएं शामिल हैं। इस समर्थन के लिए उन्होंने इन संस्थाओं (शेष पेज 2 पर)

नक्सल विरोधी अभियान में मुठभेड़ दो खूंखार नक्सली धराशायी

भोपाल (काप्र)। केन्द्र एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा मार्च, 2026 तक भारत को वामपंथी अतिवाद की पुरानी समस्या से मुक्त करने के उद्देश्य से अपनाई गई बहुआयामी रणनीति के तहत मध्यप्रदेश पुलिस ने आज एक मुठभेड़ में माओवादियों के एमएमसी जोन (मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़) के केबी डिविजन (कान्हा भोरमदेव) की भोरमदेव एरिया कमेटी के 2 हार्डकोर महिला नक्सलियों को मार गिराया।

पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के विरूद्ध लगातार आक्रामक कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मुंडीदादार-गनेरीदादर-परसाटोला जंगल क्षेत्र में माओवादियों की सूचनाएं मिलने पर इनकी तलाश के लिए सुरक्षा बलों को जंगल में भेजा गया था। आज सुबह सर्चिंग के दौरान माओवादियों ने सुरक्षा बलों को हताहत करने तथा उनके हथियार लूटने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों द्वारा प्रभावी जवाबी फायरिंग की गई। इस कार्यवाही में 2 वर्दीधारी हार्डकोर महिला माओवादी मारी गईं। इनके कब्जे से 1 एसएलआर रायफल तथा 1 अन्य रायफल, भरी मैगजीन, 1 वॉकीटॉकी सेट तथा चाकू बरामद किया गया। मुठभेड़ के दौरान घने जंगल का फायदा उठाकर भागे अन्य माओवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ क्षेत्र के आसपास सघन सर्चिंग अभियान संचालित किया (शेष पेज 2 पर)

मध्यप्रदेश को अतिवाद मुक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : डॉ. यादव

भोपाल(काप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की धरती को नक्सल गतिविधियों से मुक्त करने के लिए राज्य पुलिस बल का अभियान तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि मंडला जिले में नक्सली कार्यों में संलिप्तों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में हमारे हॉकफोर्स के जवानों ने 14-14 लाख रुपए की इनामी 2 महिला नक्सली को मार गिराया है। मृतक नक्सली की शिनाख्त प्रतिमा और ममता नाम से हुई है। इनके कब्जे से हथियार और भारी मात्रा में गोला-बारूद भी जब्त किया गया। मुख्यमंत्री ने मीडिया को दिये संदेश में नक्सलवाद के खात्मे पर पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाया और उन्हें बधाई दी है। डॉ. यादव ने हिंसक गतिविधियों के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में मप्र में नक्सलवाद को जड़ से सफाये के लिए चलाए जा रहे अभियान में हमारे जवान पूरी सक्रियता के साथ कार्रवाई कर रहे (शेष पेज 2 पर)

यूजीसी के मसौदा नियम पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं : प्रधान

नई दिल्ली (एजेंसी)।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मसौदा नियम सार्वजनिक कर दिया गया है और राज्य अपने सुझाव दे सकते हैं।

श्री प्रधान ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान द्रविड मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के सदस्य तिरुची शिवा द्वारा पूछे गये सवाल के उत्तर में यह बात कही। श्री शिवा ने पूछा था कि क्या यूजीसी के मसौदा दिशा-निर्देशों के संबंध में राज्यों के साथ कोई परामर्श किया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि यूजीसी के पास सुधारवादी नियम बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि मसौदा प्रस्ताव जनता के लिए उपलब्ध है और प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव और प्रधान सचिवों को इसकी जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि दस से अधिक राज्यों ने अपने सुझाव दिए हैं, साथ ही राज्य, केंद्रीय, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों सहित 52 विश्वविद्यालयों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यापक रूप से परामर्शी दृष्टिकोण अपनाया है और सुधारित मसौदा सार्वजनिक डोमेन में डाल (शेष पेज 2 पर)

उत्तरी पूर्वी राज्यों को पहला अंग बनाने का काम किया : सिंधिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पूर्व में उत्तर पूर्वी राज्यों को आखिरी टापू के रूप में देखा जाता था अब उत्तर पूर्वी राज्यों को पहला अंग बनाने का काम किया है। श्री सिंधिया ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास को प्राथमिकता दी है। पूर्व में उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के आखिरी टापू के रूप में देखा जाता था अब प्रधानमंत्री ने इसे पहला अंग बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच 54 मंत्रालय के बजट आवंटन 27 हजार करोड़ रुपये का था जो वर्तमान में 91 हजार करोड रुपये प्रति वर्ष हो चुका है जो साढे तीन गुणा अधिक (शेष पेज 2 पर)

मणिपुर संघर्ष को समाप्त करने के गृहमंत्रालय की बैठक 5 को

इंफाल (एजेंसी)। गृह मंत्रालय द्वारा नयी दिल्ली में कुकी जो और मेइती समूहों के बीच पांच अप्रैल को होने वाली वार्ता से पहले मणिपुर के कांगपोकपी जिला स्थित कुकी नेतृत्व ने तीन पूर्व शर्तें रखी हैं। इन शर्तों में मेइती समुदाय की बहुलता वाले क्षेत्रों में कुकी समुदाय के लोगों और कुकी समुदाय की बहुलता वाले क्षेत्रों में मेहती समुदाय के लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करना शामिल है। कुकी ज़ो काउंसिल (केजेडसी) के अध्यक्ष हेनलियानथांग थांगलेट ने कहा कि मंगलवार को कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (सीओटीयू) द्वारा कांगपोकपी में आयोजित परामर्श बैठक के दौरान तीन शर्तें तय की गईं। थांगलेट ने कहा कि तीन पूर्व-शर्तें हैं कुकी-जो समुदाय की बहुलता वाले क्षेत्रों में मेइती समुदाय के लोगों और मेइती समुदाय की बहुलता वाले क्षेत्रों में कुकी-जो समुदाय के लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया जाए, बातचीत की सुविधा के लिए कम से कम छह महीने की अवधि के लिए एक दूसरे के प्रति शत्रुता बंद की जाए ।